



श्री सोमनाथ संस्कृत युनिवर्सिटी, वेरावल

राजेन्द्रभुवनमार्ग, वेरावल-३६२२६६. (गीरसोमनाथ)

चन्द्रमौलि / गार्गी महिला छात्रावास

आवेदनपत्र

हाल का
पासपोर्ट साइज
का फोटो यहाँ
लगायें

आवेदनपत्र क्रमाङ्क

प्रवेशदिनाङ्क(प्रथमसत्र)शुल्कपत्रसङ्ख्या.....

प्रवेशदिनाङ्क(द्वितीयसत्र)शुल्कपत्रसङ्ख्या.....

कक्षा..... मुख्यविषय..... गौणविषय.....

१. आवेदक का नाम (देवनागरी लिपिमें)

.....

Name of the applicant (In

English).....

२. पिता / पतिका नाम

.....

३. माता का नाम

.....

४. जन्मतिथि (DD/MM/YYYY)..... आयु..... वर्ष

५. वर्ग - सामान्य ओ.बी.सी एस.टी एस.सी

६. पत्रव्यवहार का पता

.....

.....

.....

ई-मेल:- वोट्सअप नं.....

मोबाईल नम्बर:-अभिभावक के मोबाईल नम्बर.....

७. दो अभिभावक के नाम/ अभिभावक के साथ सम्बन्ध:-

(१)

...../.....

(२)

...../.....

(८) अभिभावक के वार्षिक आय:-

(९) क्या अभिभावक/पिता सरकारी सेवा में हैं ?.....

१०. १२ वीं /शास्त्री/आचार्य/अेम.अे.योग कक्षा/तत्समकक्ष पास की गई परीक्षा का विवरण ।

| परीक्षा | वर्ष और मास | बोर्ड/संस्थाका नाम | बैठक नंबर | कुल अंक | प्राप्त अंक | प्रतिशतांक | श्रेणी |
|---------|-------------|--------------------|-----------|---------|-------------|------------|--------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

प्रतिज्ञापत्र

मैं श्रीसोमनाथ संस्कृत युनिवर्सिटी के चन्द्रमौलि/गार्गी विद्यार्थी के रूप में छात्रावास में प्रवेश के लिए आवेदन करना चाहता/ती हूँ। मैं छात्रावास से सम्बन्धित सभी नियमों का पालन करूँगा/गी ऐसी प्रतिज्ञा करता/ती हूँ। युनिवर्सिटी द्वारा समय-समय पर छात्रालय के सञ्चालन के लिए जो सूचना दी गई है मैं उन सूचनाओंका पालन करूँगा/गी। और- पर लिखे गये मेरा विवरण सत्य है यह प्रतिज्ञा करता/ती हूँ।

दिनाङ्क -

स्थान -

विद्यार्थी के हस्ताक्षर

इस विद्यार्थीको छात्रावास में प्रवेश के लिए अनुमति दी जाती है ।

गृहपति/गृहमाता

अध्यक्ष/प्राचार्य

श्रीसोमनाथ संस्कृत युनिवर्सिटी, वेशवल

युनिवर्सिटी छात्रावास में प्रवेश एवं भोजन विषयक शुल्क (फी) के नियम

१. युनिवर्सिटी में छात्रावास में प्रवेश प्राप्त करने के लिए प्रवेश आवेदन पत्र के साथ प्रति सत्र रू. ५००/- प्रवेश फी (शुल्क) भरना पड़ेगा जो नोन-रिफन्डेबल रहेगा |
२. छात्रावास में प्रवेश पाये हुए विद्यार्थी युनिवर्सिटी के सम्पदा को नुकसान करेंगे तो अथवा अन्य कोई उसके पास से अन्य कोई दण्ड लेने योग्य हो तो उस परिस्थिति में उसकी योग्य डिपोजिट जो युनिवर्सिटी के पास हो तो ले सकते हैं उसके लिए एस.सी./एस.टी. के विद्यार्थियों के लिए १०००/- एवं अन्य विद्यार्थियों के लिए २०००/- प्रवेश के समय डिपोजिट लेना है जो डिपोजिट विद्यार्थी युनिवर्सिटी में अभ्यास पूर्ण होते अथवा युनिवर्सिटी छात्रावास में रहना नहीं चाहते तब लौटाना (वापिस) रहेगा |
३. युनिवर्सिटी में शास्त्री-शिक्षाशास्त्री के विद्यार्थियों को भोजन स्वयं अपने शुल्क से लेना होगा |
४. युनिवर्सिटी द्वारा युनिवर्सिटी छात्रावास में अभ्यास करने वाले शास्त्री एवं आचार्य के विद्यार्थियों को ४० % भोजन शुल्क युनिवर्सिटी द्वारा भुगतान किया जाएगा और ६० % विद्यार्थियों को भुगतान करना होगा |
४. छात्रावास में रहनेवाले छात्रों की शिष्टता एवं अध्ययन से सम्बन्धित नियमितता के लिए गृहपति/गृहमाता सम्बन्धित अधिकारियों से परामर्श करें एवं उसकी सूचना दें |
५. छात्रावास से सम्बन्धित कोई भी प्रश्न या समस्या हो तो प्रथम गृहपति/गृहमाता एवं वार्डन के साथ सम्पर्क करें तथा उनके द्वारा आवश्यकता होने पर कार्यालय एवं कोलेज के सम्बन्धित अधिकारीश्री को लिखित में सूचना दें / सूचित करें|
६. छात्रों को नियमित रीति से पौष्टिक एवं योग्य गुणवत्ता युक्त भोजन रसोईये के द्वारा मिलता रहे इसका ध्यान गृहपति/गृहमाता रखें |
७. परस्पर रागद्वेष एवं झगडे करनेवाले विद्यार्थियों को छात्रावास में से वार्डन, गृहपति/गृहमाता निकाल सकता है |
८. छात्रावास में रहकर अभ्यास करनेवाले छात्रों के द्वारा सप्ताह में एकबार छुट्टी के दिन समूह में सफाई के कार्यक्रम में भाग लेना रहेगा | (बीमार हो तो उस स्थितिमें मुक्ति मिल सकती है |
९. छात्रावास से सम्बन्धित प्रवेश-पत्र में विद्यार्थी सम्पूर्ण जानकारी, फोटो से सम्बन्धित एवं स्थानिक सम्पर्क विद्यार्थी के प्रवेश-पत्र के साथ जानकारी दी जाये जिसने तात्कालिक सम्पर्क करने में सरलता रहे |
१०. किसीभी छात्र को विद्यालय में प्रवेश मिलने मात्र से छात्रावास में प्रवेश मिले यह आवश्यक नहीं | अथवा (छात्रावास में प्रवेश का पात्र बनता नहीं)
११. छात्रावास में समय-सारणि के अनुसार उठना/जागना एवं प्रवृत्ति करनी पड़ेगी |
१२. छात्रावास से बाहर जाना हो तो कारण के साथ गृहपति को पहले सूचित कर छुट्टी मिलने के पश्चात् ही छुट्टी के आवेदन पत्र देकर ही बाहर जा सकते हैं |
१३. छात्रावास में विद्यार्थियों के द्वारा स्वयं के प्रकोष्ठ (रूम) की एवं छात्रावास की स्वच्छता का ध्यान स्वयं रखना होगा |
१४. छात्रावास में विद्यार्थी किसी भी बाहरी अनधिकृत व्यक्तियों को नहीं लाये |
१५. कोई भी विद्यार्थी गृहपति/गृहमाता/अधिकारी की अनुमति के बिना कर्मकाण्ड करना या अन्य कोई कारण से बाहर जाना मना है |
१६. छात्रावास में रहनेवाले छात्रों की युनिवर्सिटी में नियमानुसार उपस्थिति नहीं हो तो उन छात्रों का छात्रावास में रहने को नहीं मिलेगा /रहने नहीं दिया जायेगा | युनिवर्सिटी के नियमित छात्र के रूप में परीक्षा देने को नहीं मिलेगी |
१७. छात्रावास में पान, मावा, तम्बाकू, गुटखा या अन्य कोई प्रकार के व्यसन करने की सख्त मनाई है | जो छात्र व्यसन करेगा उसके पास से १००/- रूपये का दण्ड/जुर्माना लिया जायेगा और माफीपत्र लिखना रहेगा |
१८. युनिवर्सिटी की ओर से छात्रावास में मिले कोई भी वस्तु को ठीक से रखने की जिम्मेदारी सम्बन्धित-विद्यार्थियों की स्वयं की रहेगी |
१९. छात्रावास में किसी भी वस्तु को नुकसान हो तो नुकसान करनेवाले के पास से खर्च वसूल किया जायेगा |
२०. छात्रावास में प्रवेश मिलने वाले विद्यार्थियोंको युनिवर्सिटी द्वारा जो निश्चित करने में आये वह प्रवेश-शुल्क (फी) और डिपोजिट करना रहेगा |

२१. रूम(कमरा) एवं छात्रावास से निकलने से पहले लाईट,पंखा और पानी के नल बन्द करके ही निकलना रहेगा |
२२. छात्रावास में किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक साधनों (ईस्त्री,हिटर, आदि) का उपयोग करना मना है |
२३. छात्रावास में किसी भी प्रकार की कीमति वस्तुओं को रखना मना है और यदि कोई रखता है और खो (गुम) हो जाता है तो सम्पूर्ण जिम्मेदारी छात्र की स्वयं की होगी |
२४. छात्रावास में वार्डन एवं डेप्युटी वार्डन के अनुमति के बिना कमरा (रूम) बदल नहीं सकते|
२५. रात्रि के ०९:०० से सुबह के ०५:३० के समय आकस्मिक कारण के सिवाय/अलावा बाहर नहीं जा सकेंगे | आकस्मिक कारण के समय अधिकारीश्री से अनुमति लेकर जा सकेंगे |
२६. छात्रावास में रहनेवाले विद्यार्थियों को समय-समय पर युनिवर्सिटी परिसर में होनेवाले कार्यक्रम में उपस्थित रहना अनिवार्य होगा |
२७. छात्रावास में वार्डन,डेप्युटी वार्डन एवं युनिवर्सिटी के अधिकारीश्री/कर्मचारीश्री आकस्मिक निरीक्षण के लिये जब भी ठीक लगे आ सकते हैं और कोई भी छात्र नियम के विरुद्ध प्रवृत्ति करता हुआ पकडा गया तो दण्डात्मक कार्यवाही किया जायेगा |
२८. ग्रीष्मावकाश के समय छात्रावास में अपने सामान को ठीक से पैक करके स्टोर रूम में स्वयं की जवाबदारी/जिम्मेदारी पर जाना होगा अथवा अपने साथ अपना सामान ले जा सकते हैं |
२९. नये सत्र के प्रारम्भ में वार्डन,डेप्युटी गृहपति/गृहमाता द्वारा पुनः रूम की व्यवस्था करने में आयेगा | जिससे किसी विद्यार्थी को किसी एक रूम के उपर स्वयं का हक्क/अधिकार नहीं रहेगा |
३०. छात्रावास में नियम विरुद्ध किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति करने में एक विद्यार्थी या तीन या उसके अधिक पकड में आयेगे तो उनके पर एक्शन लिया जाये तो छात्र को मानना पडेगा | अथवा जो भी-कार्यवाही की जाये तो छात्रों के लिए वह कार्यवाही मान्य रहे|
३१. उपरोक्त नियमों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करने का अधिकार युनिवर्सिटी एवं उससे सम्बन्धित समिति को रहेगा एवं नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी छात्रों की रहेगी |
३२. प्रवेश फोर्म में संपूर्ण विवरण भर के उसके साथ निम्न दर्शित प्रमाणपत्र संलग्न करने होंगे |

(१) अन्तिम उत्तीर्ण परीक्षा/सेमेस्टर की स्वप्रमाणित मार्कशीट की छायाप्रति (२) स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट के स्वप्रमाणित छायाप्रति (३) आरक्षित वर्ग के विद्यार्थीओंके द्वारा ज्ञाति के प्रमाणपत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रति (४) बक्षीपंच के विद्यार्थीओं के द्वारा उन्नत वर्ग (क्लिमीलेयर) में नहीं आते हैं इस विषय का प्रवर्तमान वर्षका दाखिला संलग्न करना होगा (५) आधार कार्ड की स्वप्रमाणित दो छायाप्रति । (६) बैंक पासबुककी दो स्वप्रमाणित छायाप्रति । (७) प्रवेश शुल्क/भोजन शुल्क/होस्टेल डिपोझीट की रसीद ।

उपरोक्त सभी नियमों को मैंने पढ लिया है और मुझे बन्धन कर्ता है/मैं वचनबद्ध हूँ जो कोई भी नियम मेरे से टूटेगा और संस्था गृहपति को आवश्यक लगेगा तो मेरे पर नियमानुसार एक्शन (कार्यवाही) कर सकते हैं जो मुझे मान्य होगा उसकी मैं वचन लेता/ती हूँ |

विद्यार्थी के हस्ताक्षर.....